नोट – नियमावली के नियम-15 (ख) के अनुसार – चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को प्राविधानित अधिमानी अंक प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।

10- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि दो घंटा (120 मिनट) होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक (नेगेटिव मार्किंग) दिए जायेंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का ¼ अर्थात 25 प्रतिशत अंक होंगे। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम निम्नवत है-

परीक्षा योजना

विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित कुल अंक	समयावधि
विषयगत ज्ञान	100	100	दो घंटा (120 मिनट)

पाठ्यक्रम

विषयगत ज्ञान-

1. स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व।
2. भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएँ।
3. एससी, पीएचसी, सीएमसी और जिला अस्पताल का संगठन।
4. स्वास्थ्य संस्थाएं: अंतर्राष्ट्रीय: WHO, UNICEF, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DANIDA, यूरोपीय आयोग। रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को। कोलंबो प्लान, आईएलओ, केयर आदि राष्ट्रीय: इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि।
5. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व।
6. एएनएम के लिए आचार संहिता।
7. समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका।
8. स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी सम्बन्ध।
9. खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण।
10. विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार।
11. विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषणजनित रक्ताल्पता।
12. पाँच वर्ष तक के बच्चों का पोषण,पोषण में एएनएम/एफएचडब्ल्यू/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका।
13. मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य।
14. शरीर की स्वच्छता।
15. मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा।
16. संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय।
17. संक्रामक रोग: लक्षण, बचाव और उपचार: डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कण्ठमाला (गलसुआ), रूबेला, आंत्र ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला- अजार, ट्रेकोमा, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, खुजली, एसटीडी और एचआईवी / एड्स, एन्सेफलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग।
18. समुदाय में बीमारों की देखभाल: इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण: महत्वपूर्ण लक्षण।
19. ज्वर: महत्वपूर्ण संकेत: तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप।
20. स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार।
21. दवाओं का वर्गीकरण।
22. प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता।
23. सामान्य चोटें और बीमारियां।

24. कट और घाव: प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल।
25. शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
26. बच्चों का शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास।
27. दुर्घटनाएं: कारण, सावधानियां और रोकथाम।
28. विशेष स्तनपान।
29. विद्यालय स्वास्थ्य: उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण।
30. किशोरों के लिए यौन शिक्षा।
31. मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता।
32. किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी।
33. भ्रूण और नाल।
34. सामान्य गर्भावस्था: गर्भावस्था के चिह्न और लक्षण।
35. सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल।
36. नवजात की देखभाल।
37. गर्भावस्था की असामान्यताएं।
38. गर्भपात: गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण।
1. Determinants of health.
2. Overview of health problems of communities in India.
3. Organization of SC, PHC, CMC and district hospital.
4. Health agencies: International: WHO, UNICEF, UNFPA, UNDPA, World Bank, FAO, DANIDA, European commission. Red Cross, US aid, UNESCO. Colombo Plan, ILO, CARE etc. National: Indian Red Cross, Indian Council for Child welfare, Family planning association of India etc.
5. Role and Responsibilities of ANM\FHW.
6. Code of ethics for ANM.
7. Role of Counsellor & Role of ANM/Female Health worker as counsellor.
8. Importance of nutrition in health and sickness.
9. Classification of foods and their nutritive value.
10. Balanced diet for different age group.
11. Vitamin and mineral deficiencies: Nutritional anemia in women.
12. Under five nutrition, the role of ANM's /FHW/AWWs in supplementary food.
13. The Human body Structure and body systems and their functions.
14. Hygiene of the body.
15. Concept of mental health.
16. Control and prevention of communicable diseases, General measures.
17. Communicable diseases: Signs, Symptoms, care and prevention of the following: diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, measles and tuberculosis, Chicken pox, mumps, rubella, enteric fever, hepatitis, rabies, malaria, dengue, filaria, kala-azar, trachoma, conjunctivitis, scabies, STDs and HIV/AIDS, Encephalitis, Leptospirosis, Acute respiratory infections, Diarrhoeal diseases, Worm infestations, leprosy.
18. Care of the sick in the community: taking history, Physical examination: Vital signs.
19. Fever: Vital signs: Temperature, pulse, respiration, blood pressure.
20. Home care remedies & Integrated accepted practices of AYUSH
21. Classifications of drugs forms.
22. Need of First Aid.
23. Minor Injuries and ailments.
24. Cuts and wounds: types, principles and first aid care.
25. Factors affecting growth and development in infants and children.
26. Physical psychological and social development of children.
27. Accidents: causes, precautions and prevention.
28. Exclusive Breast feeding.
29. School health: Objectives, problems and programmes, Environment of school.
30. Sex education for adolescents.
31. Menstruation and menstrual hygiene.

32. Adolescent girls: pregnancy and abortion.
33. Foetus and placenta.
34. Normal pregnancy: Signs and symptoms of pregnancy.
35. Care during normal labour.
36. Care of new-born.
37. Abnormalities of pregnancy.
38. Abortion: types of abortion, causes of abortion.

11-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

12.1- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

12.2- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

12.3- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांगजन को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

12.4- उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करेंगे।

12.5- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

12.6- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा।